

टप्पल मल्टी लाजिस्टिक पार्क के लिए अधिगृहीत होगी 1,450 हेक्टेयर भूमि

यीडा ने 2,056 करोड़ मुआवजा वितरण को आरक्षित की राशि

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : अलीगढ़ जिले में टप्पल अर्बन सेंटर के लिए जमीन का मुआवजा तीन से चार में घोषित हो जाएगा। यीडा की ओर से जमीन अधिग्रहण के दो प्रस्ताव में से एक के लिए सामाजिक समाघात सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे प्रस्ताव पर अभी सामाजिक समाघात सर्वे का काम अंतिम चरण में है। यीडा की योजना टप्पल में मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क बनाने की है। इसके लिए 1450 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत होगी। यीडा टप्पल में लैंड आफ डेवलपमेंट के लिए भी जमीन अधिगृहीत करेगा। प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण के लिए सुरक्षा रियल्टी से रकम वसूली जाएगी।

यीडा में अधिसूचित टप्पल अर्बन सेंटर मास्टर प्लान फेज दो में शामिल है। नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण प्राधिकरण ने यहां मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क विकसित करने का फैसला किया है। जमीन अधिग्रहण के लिए यीडा ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को प्रस्ताव सौंपे थे। पहले चरण में यीडा ने करीब 250 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था,

एलएफडी के लिए भी अधिगृहीत होगी जमीन : यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के एवज में प्रदेश सरकार ने जेपी इन्फ्राटेक को पांच-पांच सौ हेक्टेयर जमीन पांच जगहों पर लैंड फार डेवलपमेंट एलएफडी के तहत दी थी। इसमें तीन एलएफडी गौतमबुद्ध नगर, एक टप्पल व एक आगरा में है। सुरक्षा रियल्टी जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण कर चुका है। उसे टप्पल में एलएफडी की जमीन देने के लिए उसका अधिग्रहण किया जाएगा। एलएफडी से प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि सुरक्षा रियल्टी वहन करेगा।

गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए यीडा भी जमीन क्रय का

उठाएगा खर्च : गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई तकरीबन 10 किमी है। एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। इस जमीन को क्रय करने का खर्च यूपीडा उठा रहा है। इसके लिए उसने यीडा को 1204 करोड़ रुपये दिए हैं। यीडा क्षेत्र में यह सड़क 130 मीटर चौड़ी व जमीनी सतह पर है, अधिसूचित क्षेत्र के बाहर यह सड़क एलिवेटेड होगी। यीडा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा है। 80 मीटर चौड़े मार्ग के अलावा इसके समानांतर दोनों ओर सर्विस रोड होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का खर्च यीडा को वहन करना होगा।

लेकिन टप्पल में अवैध कालोनी की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरा प्रस्ताव भी भेजा गया। यमुना प्राधिकरण मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क के लिए 1450 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत कर रहा है। यीडा एसीईओ राजेश कुमार सिंह का कहना है कि तीन से चार

माह में मुआवजा दर घोषित होने की उम्मीद है। मुआवजा वितरण के लिए यीडा ने चालू वित्त वर्ष में 2056 करोड़ रुपये आरक्षित किए हैं। मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क को पीपीपी माडल पर विकसित होगा। विकासकर्ता कंपनी चयन के लिए यीडा निविदा जारी करेगा।